समेकित बाल संरक्षण योजना के घटक

संरक्षक

श्रीमती अदिति मेहता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, सा.न्या.एवं.अधि. विभाग एवं
अध्यक्ष, राजस्थान राज्य चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

प्रेरक

श्री प्रवीण गुप्ता
आयुक्त एवं शासन सचिव,सा.न्या.एवं.अधि. विभाग एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान राज्य चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

सैम्युल मवनर्गानड्ज
चीफ यूनिसेफ, राजस्थान, जयपुर

मार्गदर्शन एवं परिकल्पना

श्रीमती सुलगना राय
शिक्षा एवं बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, राजस्थान, जयपुर

श्री संजय कुमार निराला
बाल संरक्षण अधिकारी, यूनिसेफ, राजस्थान, जयपुर

गिरिजा देवी
सी. फोर. डी. विशेषज्ञ, यूनिसेफ, राजस्थान, जयपुर

प्रस्तुति

विजय गोयल
महासचिव, रिसोर्स इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स जयपुर (आर.आइ.एच.आर.)

संदर्भ

समेकित बाल संरक्षण योजना के घटक (आई.सी.पी.एस.)

प्रकाशक

रिसोर्स इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स जयपुर (आर.आइ.एच.आर.)
932, किसान मार्ग, बरकत नगर, टोक रोड, जयपुर, www.rihrraj.org

प्रकाशन

2013, 5000 कापियां

डिजायन लेआउट एवं मुद्रक

कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर

नोट: यह पुस्तिका विषय पर समझ बढ़ाने के लिए बनाई गई है जो समय-समय पर कानूनी बदलाव के साथ संशोधित की जायेगी। इस पुस्तिका में दी जानकारी का इस्तेमाल कानूनी दस्तावेज के रूप में ना करें।

अदिति मेहता
अतिरिक्त मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान सरकार
जी-3/1, अम्बेडकर भवन,
राजमहल रेंजीडेंसी ऐरिया के पीछे
जयपुर (राजस्थान)
www.sje.rajasthan.gov.in

संदेश

राज्य सरकार द्वारा बच्चों के अधिकारों एवं उनके संरक्षण के लिए किशोर न्याय बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन कर रही है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी बच्चे अपने अधिकारों पूर्ण रूप से को प्राप्त करने में संघर्षरत है।

बच्चों की आवश्यकता अनूरूप प्राथमिता के आधार पर प्रभावी पहल करने हेतु राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण इकाई की स्थापना की गई है, इसके अलावा किशोर न्याय(बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत सी.डब्ल्यू.सी, जे.जे.बी, एस.जे.पी.यू. तथा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी का गठन किया गया है। इन इकाई में कार्यरत अधिकारियों एवं आमजन के लिए सरल भाषा में बाल संरक्षण पर समझ का अभाव होने के कारण बच्चों के अधिकारों व उनके संरक्षण के लिए आवश्यक पहल नहीं हो पाती है।

इस क्रम में विभाग व यूनिसेफ के सहयोग से आर.आइ.एच.आर. द्वारा बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों को सरलीकरण कर छः पुस्तिकाओं के रूप में संकलित करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ये पुस्तिकाएं बाल संरक्षण से जुडे विषयों पर समझ बनाने एवं आमजन के लिए मार्गदर्शिका के रूप में सार्थक सिद्ध होगी तथा सम्बन्धित घटकों, क्रियान्वित अधिकारियों एवं आमजन को सहायता मिलेगी।

धन्यवाद

अदिति मेहता

Samuel Mawunganidze
State Chief

unicef
unite for children

UNICEF
Field Office for Rajasthan
B-9, Bhawani Singh Lane
C-Scheme, Jaipur 302 001
Rajasthan, India

MESSAGE

In the last decade, Rajasthan has witnessed a significant progress in improving its state Social Developmental Indicators and demonstrated great potential for guaranteeing quality service delivery to its citizens, particularly with the passing of Public Service Guarantee Act (2012). Rajasthan Government continues to demonstrate proactiveness and sensitivity towards the care and protection of the children in the state. Through effective implementation of Juvenile Justice (care and protection) of Children Act 2000 (JJ Act) and Integrated Child Protection Scheme (ICPS) state has done admirable work in the area of Child Protection it has been establishing various child protection structures like Rajasthan State Child Protection Society (RSCPS), State Adoption Resource Agency (SARA), District Child Protection Unit (DCPU), Child Welfare Committee (CWC), Juvenile Justice Board (JJB), Special Juvenile Police Unit (SJPU) Block and Panchayat Level Child Protection Committee (BLCPC and PLCPC). It has also been issuing various order, guidelines, Standard Operating Procedures (SOPs) related to vulnerable children, protection system and mechanism.

I would like to acknowledge and appreciate the supportive leadership of Mrs. Aditi Mehata, Additional Chief Secretary, Department of Social Justice and Empowerment, Government of Rajasthan, Mr. Praveen Gupta, Commissioner, Department of Social Justice and Empowerment and his team working on implementation of Juvenile Justice Act and Integrated Child Protection Scheme. This has created a strong protective environment for children in need of care and protection through creating awareness and strengthening of various Child Protection structures existing in the state through such user friendly publication.

I strongly believe that simplified version these material will be effective's means to enhance the understanding and skill of various stakeholder who are dealing with Children in Need of Care and Protection (CNCP) and Children in Conflict with Law (CCL) in ensuring the best interest and rights of the child in the state.

I am sure with effective implementation of these standards, Rajasthan will not only improve the efficiency and effectiveness of Child Protection related services delivery system and mechanism, but will make significant contribution in enhancing people's confidence in child protection related service and ultimately improved children rights related indicators in state.

With best wishes

Samuel Mawunganidze

समेकित बाल संरक्षण योजना के घटक

भूमिका

भारत सरकार द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहली बार किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अन्य बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को एकीकृत करते हुए नई फ्लैगशिप कार्यक्रम तैयार करने, जिसके अन्तर्गत मुख्यतः वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने, बाल संरक्षण के लिए केन्द्र से लेकर गाँव स्तर तक मजबूत एवं जवाबदेह ढाँचे का निर्माण, सतत् निगरानी एवं बाल संरक्षण पर शोध मुख्य थे।

समेकित बाल संरक्षण योजना से एक ऐसे तंत्र के सृजन के लिए सरकार/राज्य के दायित्व को साकार करने में योगदान देने की अपेक्षा की जाती है, जो दक्षतापूर्वक और प्रभावी रूप से बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। यह ''बाल अधिकार संरक्षण'' और ''सर्वोत्तम बाल हित'' के दिशा-निर्देशक सिद्धान्तों पर आधारित है। इसमें बाल संरक्षण के लिए पूर्व से संचालित/नवीन योजनाओं को एक ही छत के नीचे लाया जाकर इनके संचालन के लिए आर्थिक संसाधन की उपलब्धता मुख्यतः केन्द्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करते हुए इसका कुछ अनुपात राज्य सरकार द्वारा वहन करने का प्रावधान किया गया है।

समेकित बाल संरक्षण योजना ''बाल अधिकार संरक्षण'' और ''सर्वोत्तम बाल हित'' के दिशा-निर्देशक सिद्धान्तों पर आधारित है। इसमें बाल संरक्षण के लिए पूर्व से संचालित/नवीन योजनाओं को एक ही छत के नीचे लाकर इनके संचालन के लिए आर्थिक संसाधन की उपलब्धता मुख्यतः केन्द्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करते हुए इसका कुछ अनुपात राज्य सरकार द्वारा वहन करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में 0 से 18 वर्ष तक की विभिन्न श्रेणियों के बच्चों को सम्मिलित किया गया है, जो कि किशोर न्याय बाल देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2000 में लक्षित हैं।

इस पुस्तिका में 2010 में लागू की गई समेकित बाल संरक्षण योजना के विभिन्न घटकों के कार्य व कार्य प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। ये महत्वपूर्ण योजना जो कि 18 साल तक के बच्चों को संरक्षण प्रदान करती है तथा बच्चों के संरक्षण में योगदान करती है।

समेकित बाल संरक्षण योजना के घटक

भारत के संविधान ने देश के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए संविधान के अनेक उपबंधों, जैसे कि अनुच्छेद 15 के खण्ड (3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21क, अनुच्छेद 22 के खंड (1) व (2), अनुच्छेद 23 व 24, अनुच्छेद 39 के खंड (ड) और (च), अनुच्छेद 39क, अनुच्छेद 45, 47 और 51क(ट) में बच्चों की सभी जरूरतों की पूर्ति तथा उनके मूलभूत अधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करने का प्रमुख दायित्व राज्य को सौंपा है।

इस राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर, 1989 को अंगीकृत तथा भारत गणराज्य द्वारा 11 दिसम्बर, 1992 को अनुसमर्थित बाल अधिकार अधिवेशन 1989 में बच्चों को अधिकार दिए जाने तथा जीवन रक्षा, विकास, संरक्षण व भागीदारी के उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किशोरों के समाज में पुनर्समेकन तथा असुरक्षित बच्चों की देखरेख और संरक्षण पर बल दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा इस विचार को मूर्त रूप देते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना की सबसे महत्वाकांक्षी योजना **''समेकित बाल संरक्षण योजना''** तैयार की गई, जिसे वर्ष 2009 में लागू किया गया। नव आरम्भ **''समेकित बाल संरक्षण योजना''** केन्द्र-राज्य-समाज की परस्पर भागीदारिता से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना एवं अन्य बाल संरक्षण कार्यक्रमों हेतु इनके संचालन के लिए आर्थिक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

राज्य में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग क्रियान्वयक विभाग है। अतः इस योजना के अन्तर्गत राज्य में बाल संरक्षण हेतु निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा-

- राज्य व प्रत्येक जिला स्तर पर बाल संरक्षण यूनिट एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना।
- बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल गृह/सम्प्रेषण गृह/ शिशु गृहों आदि को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन (1098) के माध्यम से आपातकालीन पहुँच सेवा चाइल्ड लाइन की सेवाओं का विस्तार उपखण्ड एवं ग्राम स्तर तक करना, सेवाएं देना।
- शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बच्चों के लिए खुले आवास।
- पालन-पोषण देखभाल, प्रवर्तकता कार्यक्रम, दत्तक ग्रहण कार्यक्रम।
- पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम।
- विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष सेवाएं।
- बच्चों के विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं पर कार्य करने हेतु वित्तीय सहयोग देना।
- राष्ट्रीय स्तर पर गुमशुदा बच्चों की वेबसाइट तैयार करना।
- बच्चों की सुरक्षा हेतु चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम बनाना।
- बाल सुरक्षा के मुद्दों को उपखण्ड एवं गांव स्तर तक सुनिश्चित करने के प्रावधान।
- सभी स्तर के जिम्मेदार क्रियान्वयनकर्ताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- सभी स्तर के अधिकारियों/कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन कार्यक्रम।
- तथ्यात्मकपरक निगरानी एवं कार्यक्रम आकलन करना।
- बाल सुरक्षा के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम।

समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत राज्य में बाल संरक्षण हेतु स्थापित घटकों एवं कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. राज्य परियोजना सहायता यूनिट State Project Support Unit (SPSU)

समेकित बाल संरक्षण योजना के अनुसार राज्य में योजना के आरम्भिक एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में केन्द्रीय परियोजना सहायता यूनिट की सहायता के उद्देश्य से राज्य में राज्य परियोजना सहायता यूनिट की स्थापना की गई है। यह मिशन निदेषक, केन्द्रीय परियोजना सहायता यूनिट को रिपोर्ट करेगी। राज्य यूनिट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के नेतृत्व में एक विशेषज्ञों का लघु दल होगा। इस यूनिट की स्थापना व संचालन के लिए शत-प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहनीय है। इस यूनिट के प्रमुख कार्य निम्न हैं-

1. समेकित बाल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन को आरंभ करने हेतु कार्ययोजना तैयार करना तथा प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश हेतु राज्य की कार्ययोजना बनाने में सहयोग करना।
2. समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं एवं बाल संरक्षण प्रणालियों यथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, जिला बाल संरक्षण इकाई, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी आदि की स्थापना करना।
3. राज्य में बाल संरक्षण संस्थाओं के कार्यकलापों की स्थिति संबंधी राष्ट्रीय स्तर की सूचना एकत्रित करना एवं अपडेट करना।
4. जिला बाल संरक्षण सोसायटी के सहयोग से खोए हुए बालकों की वेबसाइट एवं बालकों को खोजने की राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना करना।
5. आवश्यक बदलावों हेतु कुछ चुने हुए जिलों में सर्वेक्षण करें एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभाव के अनुवर्तन का आकलन करें।
6. राज्य के संबद्ध विभागों को प्रशिक्षण देना।
7. समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रारम्भिक कार्यान्वयन हेतु केन्द्र एवं कुछ चुने हुए राज्यों में तकनीकी दक्षता स्थापित करना।
8. समेकित बाल संरक्षण योजना से संबंधित जागरूकता सामग्री बनाना एवं वितरित करना।
9. बेहतर कार्यप्रणाली को लिपिबद्ध एवं वितरित करना।
10. समेकित बाल संरक्षण योजना को पूरे देश में लागू करने का आकलन एवं निगरानी करना।

2. राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी Rajasthan State Child Protection Society (RSCPS)

समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी का गठन करने का प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा उक्त योजना का राज्य में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। राजस्थान सरकार द्वारा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी का गठन किया गया है। सोसायटी का कार्ययोजना एवं बच्चों के संरक्षण हेतु अधिनियमों का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करना है।

राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी संस्था है। इस पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव का है तथा निदेशक/आयुक्त इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य सम्पादन करेंगे।

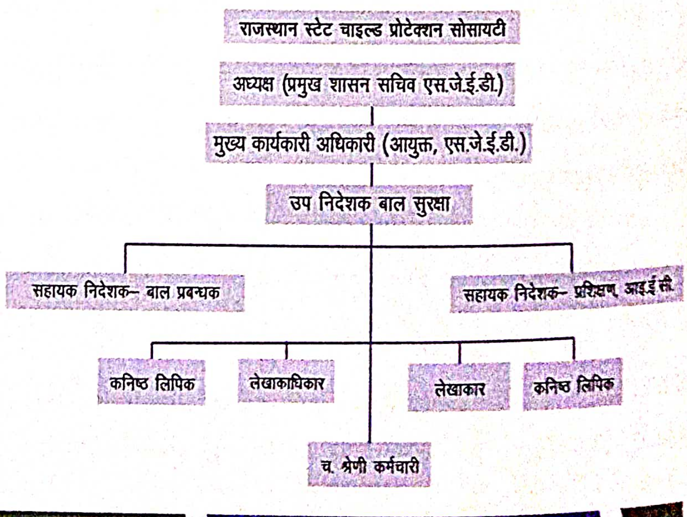

सोसायटी में महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग, शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं।

सोसायटी के संचालन के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है, जो केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहनीय है। सोसायटी के प्रभावी एवं सुचारू संचालन हेतु 8 तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियमित पद सृजित किए गए हैं। योजना के अनुसार सोसायटी के प्रमुख कार्य निम्न हैं-

1. बालकों हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना 2005 में दिए गए बाल संरक्षण व्यवस्थाओं, योजनाओं एवं बाल संरक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान देने हेतु राज्य बाल संरक्षण सोसायटी राष्ट्रीय एवं राज्य की प्राथमिकताओं, नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।
2. समेकित बाल संरक्षण योजना एवं अन्य बाल संरक्षण योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर की एजेंसियों/संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं निगरानी।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई के निष्पादन की निगरानी, स्थापना एवं सहायता करना तथा समेकित बाल संरक्षण योजना के माध्यम से जिले को निधि प्रवाह एवं उसके उपयोग में सहायता प्रदान करना।
4. किशोर न्याय (बाल संरक्षण एवं देखरेख) अधिनियम 2000 एवं उसके संशोधित अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
5. राज्य में बाल संरक्षण की अन्य व्यवस्थाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करना। उदाहरणार्थ- हिंदू दत्तक ग्रहण एवं रख-रखाव अधिनियम 1956, बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं अन्य अधिनियम जो बाल अधिकार संरक्षण हेतु लागू होंगे।
6. बाल संरक्षण मुद्दों पर अंतर-क्षेत्र संपर्क बनाने हेतु सभी सरकारी विभागों से नेटवर्किंग या समन्वय कराना। जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, शहरी मूलभूत सुविधाएं, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, युवा सेवाएं, पुलिस, न्यायिक, श्रम एवं अन्य विभाग शामिल हैं।
7. बाल अधिकार एवं संरक्षण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक एवं सिविल सोसायटी संस्थाओं से नेटवर्किंग एवं समन्वय स्थापित करना।
8. कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की संख्या का आकलन करना तथा ऐसे बालकों की प्रवृत्ति की निगरानी हेतु राज्य-विशेष डाटाबेस तैयार करना।
9. बालकों को सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बाल संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी कर्मियों (सरकारी एवं गैर-सरकारी) को प्रशिक्षण प्रदान करना।
10. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं निधि उपयोग त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करना।
11. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश की राज्य बाल संरक्षण सोसायटी से संपर्क स्थापित करना।
12. राज्य बाल संरक्षण समिति को सचिवालय सहयोग प्रदान करना।
13. राज्य स्तर पर संस्थागत देख-रेख एवं गैर-संस्थागत देख-रेख वाले सभी बच्चों का डाटाबेस तैयार करना।

3. राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी State Adoption Resource Agency (SARA)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1995 में एल.के.पाण्डे बनाम भारत संघ व अन्य में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु दिशा-निर्देश, 2011 में स्वदेशी दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देने व अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण के विनियमन राज्य स्तर पर प्रवर्तकता, पालन-पोषण देखरेख, स्वदेशी व अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण सहित परिवार आधारित गैर संस्थागत

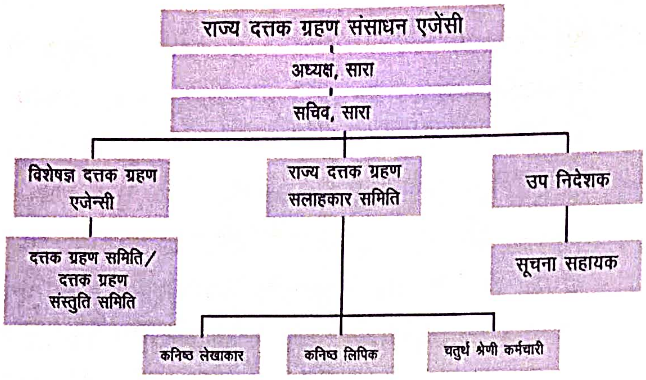

कार्यक्रम के प्रोत्साहन, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, निगरानी के लिए राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया है।

एजेंसी के कार्य में सहायता व राज्य में कार्यरत विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों के मध्य समन्वय बनाने, दत्तक ग्रहण योग्य शिशुओं व प्रत्याशित माता-पिता का राज्य स्तर पर पंजीयन-रिकॉर्ड रखने व अन्य कार्य निर्धारित किए गए हैं। उक्त एजेंसी राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के तहत एक इकाई के रूप में कार्य करेगी। यह एजेंसी दत्तक ग्रहण के कार्य का समन्वय, निगरानी व विकास करेगी। इस एजेंसी की स्थापना के लिए योजना में वित्तीय प्रावधान किया गया है, जो केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में वहनीय होगा। एजेंसी के सुचारु संचालन हेतु 5 तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियमित पद सृजित किए गए हैं। योजना के अनुसार एजेंसी के प्रमुख कार्य निम्न हैं-

- राज्य में दत्तक ग्रहण के कार्यक्रम के विकास, निगरानी एवं समन्वय हेतु राज्य स्तरीय संसाधान केन्द्र के रूप में कार्य करेगी।
- विशेषीकृत दत्तक ग्रहण वाली एजेंसी (एसएए) की स्थापना एवं वैधानिक मान्यता प्रदान करने में सहयोग करना एवं इस तरह की एजेंसियों की सूची बनाना।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं कानून के अनुसार ही बच्चों को दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया/स्थाई निवास की व्यवस्था की जा रही है।
- केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के सहयोग से देश के अंदर दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया एवं देश के बाहर गोद देने की व्यवस्था को बढ़ावा देना।
- बच्चों को खोजने की प्रणाली के रूप में दत्तक ग्रहण में जाने वाले बच्चों तथा इच्छुक दंपत्तियों का राज्यवार वेब आधारित डेटाबेस तैयार करना।
- दत्तक ग्रहण हेतु विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) के कार्यो पर नजर रखना तथा राज्य के अंदर उनके बीच समन्वय सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी दत्तक ग्रहण के इच्छुक दंपत्तियों का पंजीकरण जिला बाल संरक्षण इकाई/ विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए)/राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सारा) में किया गया है।
- केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को मासिक आधार पर दत्तक ग्रहण के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराना।
- सभी एजेंसियों एवं संबद्ध प्रणालियों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- दत्तक ग्रहण की प्रणाली से संबद्ध लोगों की क्षमता का विकास करना।
- किसी भी लाइसेंसधारी/मान्यता प्राप्त विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी या बिना लाइसेंस के कार्य करने वाले सदस्यों/संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम में गड़बड़ी करने पर दण्डात्मक कार्यवाही करना।
- राज्य में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाना।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री बनाना तथा वितरित करना।

4. जिला बाल संरक्षण इकाई District Child Protection Unit (DCPU)

समेकित बाल संरक्षण योजना के जिले में प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण सोसायटी/इकाई के गठन का प्रावधान किया गया है। जिला

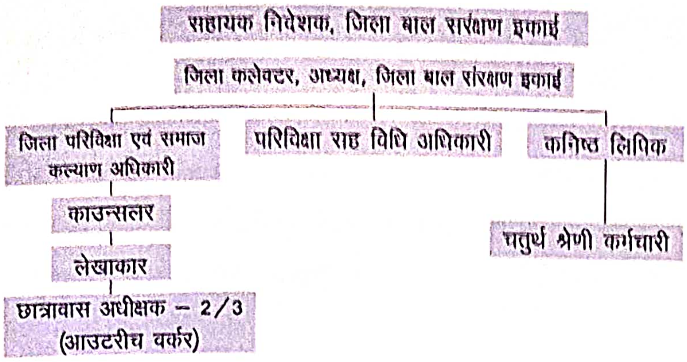

बाल संरक्षण इकाई का कार्य अधिनियम का जिलास्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, जोखिम, देखभाल, संरक्षण वाले बच्चों के लिए वैयक्तिक देखरेख कार्यक्रम बनाना, आईसीपीएस के कार्यक्रम घटकों के कार्यान्वयन हेतु प्रतिष्ठित संगठनों को चिह्नित कर समर्थन देना, प्रवर्तनकर्ता-पालन-पोषण देखरेख-दत्तक ग्रहण-अनुवर्ती देखरेख सहित परिवार आधारित गैर संस्थागत सेवाओं के कार्यान्वयन में सहयोग करना आदि है।

राजस्थान में प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण इकाइयां गठित की गई हैं। ये इकाइयां राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के अंग के रूप में कार्य करेंगी, जिस पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का होगा तथा सहायक निदेशक (जिला बाल संरक्षण अधिकारी) जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रभारी के रूप में कार्य करेगा। योजना में प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है, जो केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में वहनीय है। जिला बाल संरक्षण इकाई के सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर 10 एवं शेष प्रत्येक जिले में 9 तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियमित पद सृजित किए गए हैं। योजना के अनुसार इकाई/सोसायटी के प्रमुख कार्य निम्न हैं-

- बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना 2005 में दी गई बाल संरक्षण व्यवस्थाओं, योजनाओं एवं बाल संरक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान करने में जिला बाल संरक्षण सोसायटी राष्ट्रीय एवं राज्य की प्राथमिकताओं, नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।
- यह सुनिश्चित करना कि देख-रेख की जरूरत वाले प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत व सामाजिक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रतिनिधियों, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों, स्थानीय निकायों, बाल संरक्षण से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों आदि के साथ प्रभावी नेटवर्किंग एवं संपर्को द्वारा संकटग्रस्त परिवारों एवं संरक्षण एवं देख-रेख की आवश्यकता वाले बच्चों का पता लगाना।
- कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की संख्या का आकलन करना। ऐसे बच्चों की प्रवृत्ति की निगरानी हेतु जिला-विशेष डाटाबेस तैयार करना।
- जिला स्तर पर उपलब्ध सभी प्रदाताओं एवं सेवाओं की संसाधन डायरेक्ट्री बनाएं।
- समेकित बाल संरक्षण योजना के कार्यक्रम घटकों को लागू करने के लिए विश्वस्त स्वैच्छिक संगठनों का पता लगाना एवं उनकी सहायता करना।
- गोद लेना, प्रायोजित करना आदि परिवार आधारित गैर-संस्थागत सेवाओं के कार्यान्वयन में सहयोग करना।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 एवं उसके संशोधित अधिनियम 2006 का जिला/शहर स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
- कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला, ब्लॉक एवं गांव स्तर की जिला संरक्षण समितियों की स्थापना सुनिश्चित करना।
- सभी स्तरों पर बच्चों के अंतरण की सुविधा प्रदान करना चाहे वह उनको परिवार से मिलाना या प्रायोजक के द्वारा अल्पावधि या दीर्घावधि पुनर्वास में सहायता करना या संस्थाओं में रखना आदि हो।
- जिले में बाल संरक्षण की अन्य व्यवस्थाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करना उदाहरणार्थ- हिंदू दत्तक

ग्रहण एवं रख-रखाव अधिनियम 1956, बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम 1956 एवं अन्य अधिनियम जो बाल अधिकार संरक्षण हेतु लागू होंगे।

- बाल संरक्षण मुद्दों पर अंतर-क्षेत्र संपर्क बनाने हेतु सभी सरकारी विभागों से नेटवर्किंग या समन्वय कराने, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, शहरी मूलभूत सुविधाएं, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, युवा सेवाएं, पुलिस, न्यायिक, श्रम एवं अन्य विभाग शामिल हैं।
- बाल अधिकार एवं संरक्षण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक एवं सिविल सोसायटी संस्थाओं से नेटवर्किंग एवं समन्वय स्थापित करना।
- जिले में समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु मानदंड स्थापित करना।
- जिले के बच्चों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली सभी संस्थाओं / एजेंसियों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी।
- बालकों को सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बाल संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी कर्मियों (सरकारी एवं गैर-सरकारी) को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- जिला, ब्लॉक एवं सामाजिक स्तर पर बाल संरक्षण कार्यक्रमों हेतु स्वैच्छिक युवा वर्ग की सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करना।
- बाल संरक्षण कार्यकलापों की समीक्षा एवं प्रगति हेतु चाइल्ड लाइन, गृह अधीक्षकों, गैर-सरकारी संगठनों एवं जनता सहित जिला स्तर के सभी अंश धारकों के साथ त्रैमासिक बैठक आयोजित करना।
- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी एवं अन्य जिलों की जिला बाल संरक्षण सोसायटी के साथ संपर्क करना।
- जिला बाल संरक्षण समिति को सचिव संबंधित सहयोग प्रदान करना।
- जिला स्तर पर संस्थागत देख-रेख एवं गैर-संस्थागत देख-रेख वाले सभी बच्चों का डाटाबेस तैयार करना।

5. बाल कल्याण समिति Child Welfare Committee (CWC)

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 29 में देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों की सुनवाई व निपटान हेतु अंतिम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति की स्थापना का बाध्यकारी प्रावधान किया गया है। इस समिति में एक अध्यक्ष व चार सदस्य (जिनमें से एक महिला) से बनती है, जिनका चयन राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंषा पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 29(5) के अनुसार यह समिति एक न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत महानगरीय/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं समिति

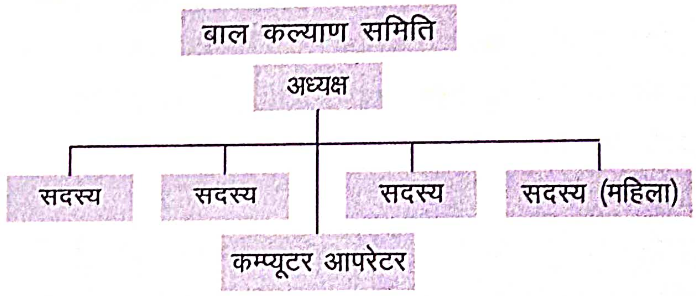

को देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों व बच्चों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के मामलों में स्वविवेक से बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करने का अधिकार है। अधिनियम के इस प्रावधान की अनुपालना हेतु योजना में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति की स्थापना व उसके कार्य के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। राज्य के सभी 33 जिलों में बाल कल्याण समितियों का गठन किया जा चुका है।

6. किशोर न्याय बोर्ड Juvenile Justice Board (JJB)

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 4 में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर-किशोरियों के प्रकरणों की सुनवाई, जमानत व निपटान हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना का बाध्यकारी प्रावधान किया गया है। बोर्ड में सम्बन्धित जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष व राज्य स्तरीय चयन

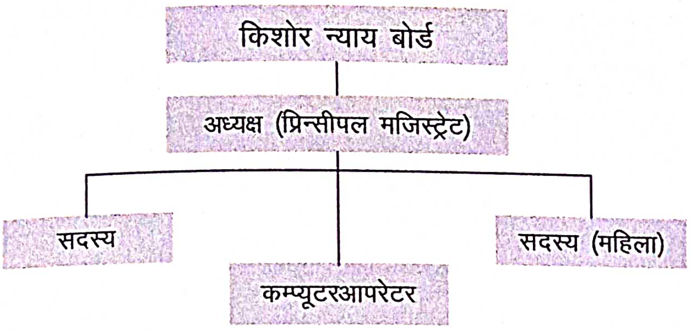

समिति की सिफारिश अनुसार दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। इनमें से एक महिला होती है। अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अनुसार महानगरीय/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्य के सभी 33 जिलों में किशोर न्याय बोर्डों का गठन किया जा चुका है।

7. विशेष किशोर पुलिस इकाई Special Juvenile Police Unit (SJPU)

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 व संशोधित अधिनियम, 2006 की धारा 63 में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर-किशोरियों व देखभाल-संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों को प्राप्त करने व उनमें आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन का बाध्यकारी प्रावधान किया गया है। इस यूनिट में एक पुलिस अधिकारी (जो निरीक्षक से कम स्तर का न हो) किशोर कल्याण अधिकारी के रूप में तथा दो वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता (इनमें से एक महिला व दूसरा बाल संरक्षण में विशेषज्ञता प्राप्त हो) होते हैं।

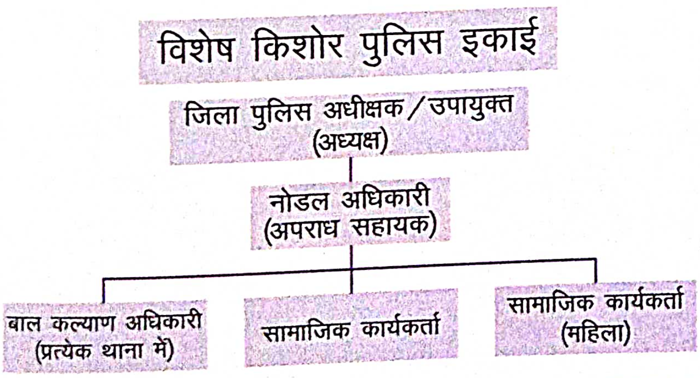

प्रत्येक जिले में इस इकाई की स्थापना के लिए आवश्यक दो वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जो मूलतः जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्यरत होंगे व आवश्यकता होने पर विशेष किशोर पुलिस इकाई को अपनी सेवाएं देंगे। योजना में इस पर होने वाले व्यय का विवरण जिला बाल संरक्षण इकाई के बिन्दु में समाहित है। राज्य सरकार द्वारा धारा 63 के तहत सभी 41 पुलिस जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित की गई हैं।

समेकित बाल संरक्षण योजना की बेहतर क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए जिला, उपखण्ड एवं गांव स्तर इकाइयां गठित की जाएंगी, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1. जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति

जिला प्रमुख इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। समिति में महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज संस्था, शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।

2. ब्लॉक (उपखण्ड) स्तरीय बाल संरक्षण समिति

उपखण्ड/वार्ड स्तर पर चुने गए जनप्रतिनिधि इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। समिति में महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज संस्था, शिक्षा विभाग के उपखण्ड/वार्ड स्तरीय अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।

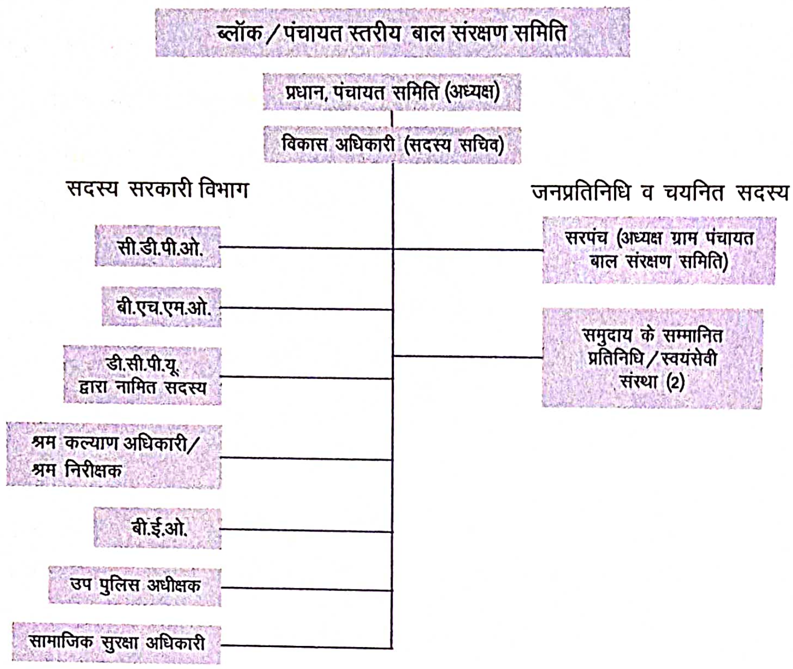

3. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति

पंचायत स्तर पर चुने गए जनप्रतिनिधि (संरपच) इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। समिति में ग्राम पंचायत के समस्त वार्ड पंच महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज संस्था, शिक्षा विभाग के ग्राम स्तरीय अधिकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं एवं बाल प्रतिनिधियों के दो-दो प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति

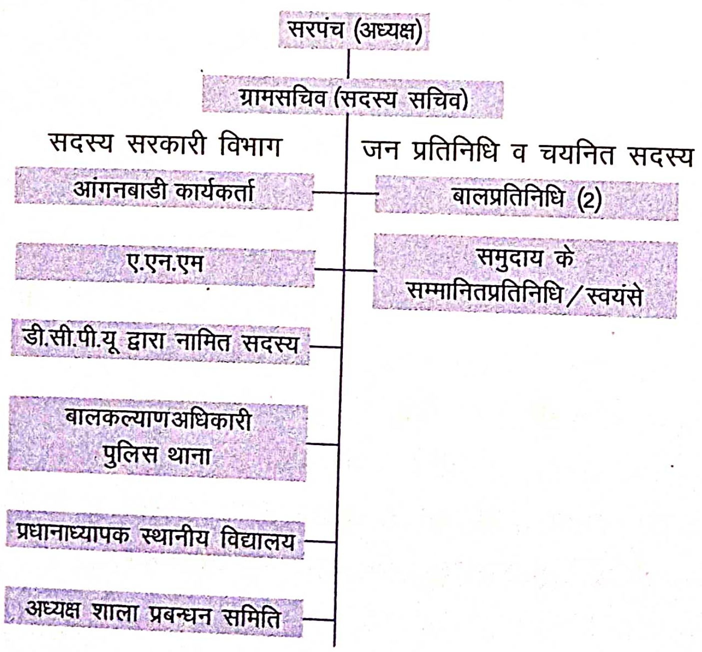

❑❑❑

RIHR

सान्याअवि

unicef
unite for children

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान सरकार
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेंजीडेंसी ऐरिया के पीछे
जयपुर (राजस्थान)
www.sje.rajasthan.gov.in